हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, उभयपक्ष बहस आयन्दा करना चाहते है बहस हेतु अवसर दिया जाता है वास्ते पत्रावली मे उभयपक्षो की बहस हेतु दिनांक 29.11.19 को पेश हो।

29.11.19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज सूची पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा P.O. स्था. के मौका निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया, उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गई वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 5.12.19 को पेश हो।

5/12/19 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य मे बाहर है / अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 6.12.19 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

6.12.19 पत्रावली पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित. वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा०का० अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी संख्या 930, 931, 953, 954, 955, 956 भूमि ग्राम कबराड़िया पटवार हल्का कबराड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थी के आने जाने हेतु रास्ता [illegible] संख्या 01 लगायत 03 [illegible] 62 कुल किता 02 [illegible] 9 बिस्वा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उत्तरी-पूर्वी मेड के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जब कि वकील विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन मे प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा-का-अधिनियम स्वीकार योग्य है. अत:

: : आदेश : :

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा-का- अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजियात ग्राम कबराड़िया पटवार हल्का कबराड़िया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 930, 931, 953, 954, 955, 956 कुल किता 06 कुल रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एव मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी से. 01 लगायत 03 की आराजी नम्बर 957, 962 कुल किता [illegible] 09 बिस्वा भूमि [illegible] पूर्वी मेड के सहारे व आराजी सं. 957 से लगती हुई 12 फीट

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। मकान को क्षति नहीं पहुंचे मकान के सहारे - सहारे रास्ता कायम किया जावे। 12 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे ओर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार मांडल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:12:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner